HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Application No. 1/2026
IN

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8913/2026

Mobile @ Rashim S/o Shri Sharif, Aged About 23 Years, R/o Village Digchauli, Police Station Khoh, District Deeg (Rajasthan)

----Accused/Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Non- Applicant/Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rahul Sinsinwar
For Respondent(s)	:	Mr. Rishi Raj Singh Rathore, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)

Order

11/06/2026

S.B. Criminal Miscellaneous Application No. 1/2026:-

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1/2026 एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 8913/2026, पुलिस थाना खोह जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 126/2026 अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 308(2), 317(2), 317(4), 317(5), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(a), 313, 303(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त का स्वयं का विवाह दिनांक 14.06.2026 को साहिला खांन से सोना (हरियाणा) में होना निश्चित हुआ है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को 15 दिवस की अंतरिम जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि यह सही है कि प्रार्थी/अभियुक्त मोबाइल उर्फ रासिम का विवाह दिनांक 14.06.2026 को

RAJASTHAN HIGH COURT

साहिला खांन से सोना (हरियाणा) में निश्चित हुआ है। अंत में उचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 126/2026 पुलिस थाना खोह जिला डीग में विचाराधीन है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 01.06.2026 को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 8913/2026 इस न्यायालय में लंबित है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत थानाधिकारी पुलिस थाना खोह जिला डीग द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 1293 दिनांक 09.06.2026 के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का विवाह दिनांक 14.06.2026 को साहिला खांन के साथ होना निश्चित हुआ है। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना खोह जिला डीग की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को विवाह के लिए उसे जमानत पर रिहा होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के लिए आदेशानुसार अंतरिम रूप से जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मोबाइल उर्फ राशिम पुत्र श्री शरीफ** की ओर से प्रस्तुत उक्त अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि वह अन्तरिम जमानत अवधि के दौरान शांति व सद्व्यवहार बनाये रखेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा जमानत पर रिहा होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में स्वयं संबंधित कारागृह में उपस्थित होकर समर्पण कर देगा तो उसे निम्न शर्तों के अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए:–

प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को डराएगा या धमकाएगा नहीं।

प्रार्थी/अभियुक्त भारत को छोड़कर नहीं जाएगा।

प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में पुनः आपराधिक कृत्य नहीं करेगा।

प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में स्वयं संबंधित कारागृह में उपस्थित होकर समर्पित किए जाने की सूचना संबंधित प्रभारी कारागृह संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पण नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पण करने/नहीं करने के संबंध में संबंधित कारागृह के सक्षम अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय/इस न्यायालय को अविलम्ब सूचित किया जाएगा।

तद्नुसार यह अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1/2026 स्वीकार किया जाता है।

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8913/2026:-

मूल प्रकरण दो सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)),J

KISHAN SONI/127